फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

RCMS 2020/00036 21-1-2021

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी नेहरो की ढाणी   बनाम   शेराराम वल्द डेराजराम कौम जाट सा. नेहरो की ढाणी

किस्म मुकदमा – राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91   मु.न. 33/2020
सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म क़ी तामील में जारी हुए
12-10-2020	पटवारी हल्का नेहरो की ढाणी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा नेहरो की ढाणी के खसरा संख्या 205 रकबा 0-0160 हे. बीघा किस्म भूमि गै.मु. रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
22-10-2020	पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28-10-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

28-10-2020

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए, एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली फैसल सुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर रिकार्ड दाखिल हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

Scanned by CamScanner